रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1381] नई दिल्ली, सोमवार, मई 15, 2017/वैशाख 25, 1939
No. 1381] NEW DELHI, MONDAY, MAY 15, 2017/VAISAKHA 25, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2017

का.आ. 1564(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण में सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 142(अ), तारीख 13 जनवरी, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें अन्य सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर सुझाव और आक्षेप आमंत्रित किए गए थे;

और, प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में सभी व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

और, तालाकावेरी वन्यजीव अभयारण्य, कर्नाटक राज्य के कोडागु जिले की पश्चिमी दिशा में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 की उपधारा अधिसूचना सं. के उपबंधों के अधीन 173 87 (1), तारीख 31 अगस्त, 1987 द्वारा अधिसूचित 12⁰17' 14" से 12⁰ 26' 38" उत्तर अक्षांश और 75⁰ 25' 23" से 75⁰33' 15" पूर्व देशांतर के बीच स्थित है जो 105.59 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है ;

और, तालाकावेरी वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी घाट का केन्द्र बिंदु हैं जिसकी विशेषता 35 प्रतिशत से अधिक खड़ी ढाल वाले अभयारण्य क्षेत्र के 85 प्रतिशत से अधिक का भू भाग ऊबड खाबड है, और जिसमें 6000 मि.मि. से 7000 मि.मि. के बीच अधिक वर्षा होती है, समृद्ध जैव विविधता स्थानिक वाद के उच्च दर और बाघ (*पैथारा* टीग्रिस), एशियाई हाथी (*एलिफस मैक्सिमस*), मालावार बिलाव(*विवेर्रा*), गौर और भारतीय जंगली भैंसा(*बूस गयरूस*), सांभर(*रूसा यूनीकोलर*), और मुंजक(*मुनटीक्स मुंनतजक*), सिंह पुच्छ लघु पुच्छ वानर (*मक्का सिलेनअस),* तवांगु (लो*रिस लाडेक्केरिअनस),* भूरा मुसंग(*पैराड्क्सुरूस जेरदोनी*), तेंदुआ बिल्ली(*मार्टेस गवाटकिनसि*), नीलगिरी मार्टन (माट्र्स ग्लैन्टीकी), जंगली कुत्ता(*कून अलपिनेस*), ओटर (*लुतेरा पेरसपिसिल्लाटा*), तरवनकोर सूरज- भगत (*पेटिनूमस फूसकोकापिल्लअस) और अन्य कोबरा*

(ओफिओफगुस हन्ना), इंडियन राक पायथन(*पायथन मुलूरूस मोलुरूस*) जैसी क्रान्तिक रूप से संकटग्रस्त और संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए आश्रय है ;

और, अभयारण्य को पश्चिमी घाटों में एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों में से एक पक्षी क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है, क्योंकि पश्चिमी घाटों के 16 स्थानिक पक्षियों में से 13 यहां पाया जाता हैं जैसे मालाबार बांद मयूर, पेरिस मयूर, मालाबार रावेन, और मालाबार स्वेलोवैल मालाबार मालाबार ग्रे हॉर्नबिल (*अनथराकोकेरूस* कोरूनटस), मालाबार ट्रोगोन (*हारपेक्टेस* फस*सिअटस*), मालाबार विस्टलिंग थ्रष (*मायोफोनस हॉर्सीफिल्डी*), वायानाद लाफ्फोर्निंग थ्रश (*गर्रूलैक्स डेलेस्सरटी*), व्हाइट-बेल्डेड ट्री-पाय (*डेंड्रोकिट्टा लीकोगोस्ट्रा*), ऑरेंज और काला सूरजभगत *(मस्किकपा निगरूफा)* और नीलगिरी सूरजभगत (*मस्सिकपा अलबिकाआडाटा*) अभयारण्य भी स्थानिक और संकटाग्रस्त पापिलियनिड तितलियों को भी शरण देता है;

और, अभयारण्य पट्टी घाट और पादीनलकनाडु आरक्षित वनों जैसे बहुत से आरक्षित वनों से घिरा हुआ होने के कारण अभयारण्य एशियाई हाथी और बाघ जैसे बड़े स्तनधारियों के लिए विस्तारित प्राकृतिक वास की व्यवस्था करता है और हाथी परियोजना के अधीन घोषित मैसूर हाथी रिजर्व का भाग है तथा यह कर्नाटक में नागरहोल राष्ट्रीय पार्क तथा तालाकावेरी वन्यजीव अभयारण्य और केरल राज्य में व्यानाद तथा अरालम वन्यजीव अभयारण्य के बीच घूमने के लिए बड़े स्तनधारियों के लिए महत्वपूर्ण गलियारे के रूप में कार्य करता है;

और, संरक्षित क्षेत्र कावेरी नदी के लिए आवाह क्षेत्र है जो तालाकावेरी से निकलती है और अभयारण्य डोडाहोल, नाडूबेलहोल, बिटेमेलहोल, कुमेकोली और मुंडराहोल जैसी बारहमासी सरिताओं के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में भी कार्य करता है जो तालाकावेरी वन्यजीव अभयारण्य द्वारा दी गई पारिस्थितिक-प्रणाली सेवाओं के महत्व का वर्णन करती हैं;

और, तालाकावेरी वन्य जीव अभयारण्य के चारों ओर के संरक्षित क्षेत्र को, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो की संक्रियाओं तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, इसलिए, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य में तालाकावेरी वन्य जीव अभयारण्य के चारों ओर 1 किलोमीटर से 16 किलोमीटर के विस्तार तक सिवाय उसे दिशा के जहां अभयारण्य केरल राज्य की सीमा को साझा करता है वहां यह शून्य कि. मी. है, के क्षेत्र को तालाकावेरी वन्य जीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का कुल भौगोलिक क्षेत्र 213.07 वर्ग किलोमीटर है जिसका तालाकावेरी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के इर्दगिर्द विस्तार 1 से 16 किलोमीटर है, सिवाय उस दिशा के जहां यह केरल राज्य की सीमा को साझा करता है जहां यह शून्य किलोमीटर है और ऐसे पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं का वर्णन **उपाबंध I** में दिया गया है ।

(2) अक्षांश और देशान्तर के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा और तालाकावेरी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के साथ उसके मुख्य बिन्दुओं के भू-निर्देशांकों के **उपाबंध III** के रूप में उपाबद्ध है।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची तथा आरक्षित वन क्षेत्र **उपाबंध IV** में दिए गए है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी रीति में तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, पारिस्थितिक और पर्यावरणीय संबंधी बातों को उक्त योजना में समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;
(ii) वन और वन्यजीव;
(iii) कृषि ;
(iv) राजस्व;
(v) नगर विकास;
(vi) पर्यटन;
(vii) ग्रामीण विकास;
(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
(ix) नगरपालिका;
(x) पंचायती राज;
(xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी और समर्थनकारी मानचित्र और विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग की विशेषताओं के ब्यौरे देते हुए मानचित्रों द्वारा समर्थित होगी ।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध, विनियमित क्रियाकलापों का पालन करेगी तथा विनियमित करेगी स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन सुरक्षा के लिए, पारिस्थितिक अनुकूल विकास सुनिश्चित करेगी तथा संवर्धित करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना के साथ सह-विस्तारी होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कार्यों को करने के लिए मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट कृषि और अन्य भूमि से भिन्न कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू सुसंगत राज्य विधियों और केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य

IndiaCode

नियमों तथा विनियमों के अधीन प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, तथा इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) अवसंरचना और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और पारिस्थितिक पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाए जिसमें गृह वास भी है; और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप और जिन्हे पैरा 4 के अधीन दिया गया है:

परन्तु यह और कि जनजातीय भूमि का कोई उपयोग राज्य सरकार की सुसंगत राज्य विधियों तथा इसके अधीन बनाए नियमों और उपनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, के उपबंधों के अनुपालन के बिना, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी।

परंतु यह और भी कि ऊपर निर्दिष्ट त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

(ख) और वनरोपण और वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों वाले अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों, नदियों, चैनलों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना समाविष्ट होगी।

(3) पर्यटन/पारिस्थितिक पर्यटन – (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर विद्यमान सभी नए पारिस्थितिक क्रियाकलाप या पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग रूप में होगी।

(ख) पारिस्थितिक पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, द्वारा राज्य के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक का रूप होगी।

(घ) पारिस्थितिक पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 कि. मी. के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो और वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक कि.मी. की दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटलों तथा रिसार्ट का संनिर्माण अनुज्ञात किया जाएगा और नए होटलों तथा रिसार्ट की स्थापना केवल पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए अभ्यंकित और नामोर्दिष्ट क्षेत्रों में ही अनुज्ञात की जाएगी;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन को महत्व

देते हुए होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र में किसी नए होटल या रिसार्ट या वाणिज्यिक स्थापन संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(4) नैसर्गिक विरासत -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और तथा उनकी परिरक्षा और संरक्षा के लिए विरासत संरक्षण योजना तैयार की जाएगी ।

(5) मानव निर्मित विरासत स्थल - पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और उनके संरक्षण की योजनओं के रुप में आंचलिक महायोजना तैयार की जाएगी ।

(6) ध्वनि प्रदूषण - पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986, के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के अनुसार अनुपालक किया जाएगा ।

(7) वायु प्रदूषण -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा ।

(8) बहिस्राव का निस्सारण - पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों के अन्तर्गत आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषक तत्वों के निस्सारण के साधारण मानकों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट -** ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा--

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान तथा प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ; और जैविक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर स्वीकार्य रीति में किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण और भूमि भराव के स्थापनों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(10) जैव चिकित्सीय अपशिष्ट- जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन में कोई सामान्य उपचार सुविधा या जलाया जाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(11) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: - पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: - पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) ई–अपशिष्ट:- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) यानीय परिवहन: - परिवहन की यानीय गति आवास के अनुकूलन रीति द्वारा विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध समाविष्ट किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने तक और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियम तथा तदधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन यानीय गति के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) यानीय प्रदूषण:- लागू विधियों के अनुसार यानीय प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा और स्वच्छ ईंधन उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी, आदि के उपयोग के लिए प्रयास किए जानें हैं ।

(16) औद्योगिक इकाइयां: - (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन के पर या उसके पश्चात पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में केवल गैर- उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर केवल गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को तब तक अनुज्ञात किया जाएगा जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और इसके अलावा, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) पहाड़ी ढलानों का संरक्षण: - पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:

(क) आंचलिक महायोजना उन पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों को उपदर्शित करेगी जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(18) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, यदि यह आवश्यक समझती है, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने में अन्य अतिरिक्त उपाय विनिर्दिष्ट करेगी।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) तथा इनमें किए गए संशोधनों सहित अन्य लागू विधियों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	**क्रियाकलाप**	**टीका-टिप्पणी**
	क.प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन ।	क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका

		(सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसार की जाएगी।
2.	प्रदूषण (जल या वायु या मृदा या ध्वनि) कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में किसी भी नए या प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वर्गीकरण में हरित या श्वेत के रूप में वर्गीकृत उद्योग जिनमें कृषि आधारित लघु उद्योग भी हैं, विनियमों के अनुसार विनियमित किए जाएंगे।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	फर्मों, कॉरपोरेट कंपनियों, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे अन्यथा नहीं।
7.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई या विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
	ख.विनियमित क्रियाकलाप	
8.	होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलापों के लिए अस्थायी लघु संरचनाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात होंगे, अन्यथा नहीं। परंतु, संरक्षित जोन की सीमा से या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक एक किलोमीटर से ज्यादा है, जो भी निकट है वहाँ सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 6 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी, जैसे। (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) अवसंरचना और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

IndiaCode

		(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग; (iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधाजनक भण्डारों और स्थानीय सुख सुविधाओं, जो पारिस्थितिक पर्यटन जिसमें ग्रह वास भी है, सहायक हो; और (v) इस अधिसूचना में संवर्धित क्रियाकलापों की सूची: परन्तु यह और कि ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे । (ख) ये एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे ।
10.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि, या कृषि आधारित उद्योग देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात होंगे ।
11.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
12.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई, संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
13.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
14.	विद्युत और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और अन्य अवसंरचना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । भूमिगत केबल बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
15.	अवसंरचना और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण।	न्यूनीकरण की उपायों के साथ, लागू विधियों नियम और विनियमित किए जाएंगे और उपलब्ध दिशानिर्देश के अनुसार किए जाएंगे ।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण।	न्यूनीकरण की उपायों के साथ, लागू विधियों नियम और विनियमित किए जाएंगे और उपलब्ध दिशानिर्देश के अनुसार किए जाएंगे ।
17.	गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस और अन्य पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
18.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
19.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
20.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।

	पशुपालन, जलकृषि, पशुपालन कृषि और मछली पालन ।	
21.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्स्राव के निस्सारण को विनियमित किया जाएगा।
22.	सतह और भूजल के वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
23.	खुले कुआ, बोर कुआ, आदि के लिए कृषि और अन्य उपयोग ।	विनियमित और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से मानीटरी की जाएगी।
24.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26.	पारिस्थितिक पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
27.	पोलिथीन बैगों का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
28.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	ग.संवर्धित क्रियाकलाप	
29.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	सक्रिय रुप से बायो गैस, सौर प्रकाश आदि को बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	निम्नीकृत भूमि या वन या आवास की प्रत्यार्वतन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 के 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन किया गया, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:--

(1) क्षेत्रीय आयुक्त, मैसूर — अध्यक्ष;

(2) माननीय विधान सभा सदस्य, मेडिकेरी निर्वाचन क्षेत्र, कोडागु जिला — सदस्य;

(3) पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि — सदस्य;

(4) शहरी विकास विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि — सदस्य;

(5) पर्यावरण (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि — सदस्य ;

(6)	क्षेत्रीय अधिकारी, कर्नाटक सरकार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मैसूर	—	सदस्य ;
(7)	पर्यावरण और वन मंत्रालय, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला कर्नाटक राज्य के ख्याति प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिक में एक विशेषज्ञ	—	सदस्य;
(8)	उपायुक्त या उसका प्रतिनिधि कोडागू जिला, मेडिकेरी	—	सदस्य;
(9)	राज्य जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य	—	सदस्य;
(10)	उप वन संरक्षक, मेडिकेरी वन्यजीव अभयारण्य प्रभाग, मेडिकेरी	—	सदस्य सचिव।

6. निर्देश का निबंधन:-

(1) मानिटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(2) समिति का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।

(3) ऐसे क्रियाकलाप जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अंतर्गत आते हैं और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हे भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन सम्मिलित नहीं किया गया है, उसके पैरा के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संबद्ध पार्क का उप वन संरक्षक ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन को **उपाबंध V** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, होंगे ।

[फा.सं. 25/163/2015-ईएसजेड-आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

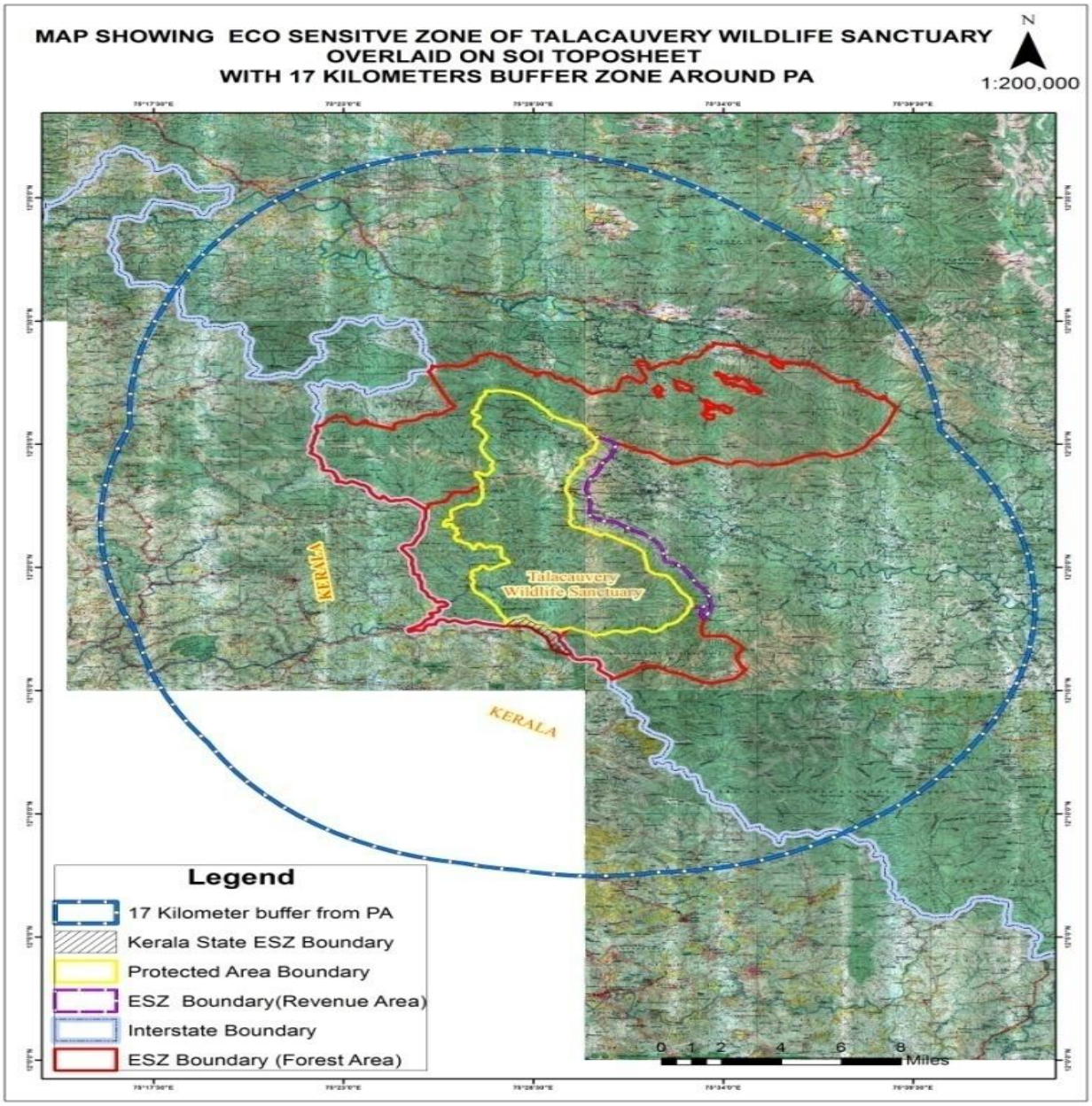
उपाबंध-I

तालाकावेरी वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर और पूर्व :	तालाकावेरी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा कर्नाटका और केरल के अन्त: राज्य सीमा के बिन्दु के निर्देशांक उ 12.428455 पू 75.36995 के साथ आरम्भ होकर, जो पट्टीघाट आरक्षित वन का आरंभिक बिन्दु भी है और पट्टीघाट आरक्षित वन की उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी सीमा के साथ उत्तर पूर्वी और पूर्वी दिशा में जाती है निर्देशांकों उ 12.429906 पू 75.389133, उ 12.442085 पू 75.436909, उ 12.477894 पू 75.455207, उ 12.452840 पू 75.515322, उ 12.483091 पू 75.573359, उ 12.437121, पू 75.648508 से होते हुए जाती है यह भागमंडाला ग्राम सीमा के निर्देशांक उ 12.402871 पू 75.570767 बिन्दु पहुँचती है। इसके बाद रेखा तालाकावेरी वन्यजीव अभयारण्य की पूर्वी और दक्षिण पूर्वी सीमा के साथ डी-रेखा के मुख्य बिन्दु की लम्बाई चौड़ाई 1.0 किलोमीटर तक है और निर्देशांकों उ 12.417316 पू 75.514964, उ 12.387043 पू 75.500700, उ 12.367913 पू 75.502305, उ 12.350275 पू 75.534617, उ 12.337102 पू 75.539058, उ 12.329526 पू 75.549460, उ 12.318875 पू 75.556845 से होते हुए भागमंडाला, थाननीमनी एवं वन, चेरंगला, सनापुलीकोटु, अईयानगेरी एवं वन से होते हुए जाती है यह निर्देशांक उ 12.298601 पू 75.557129 के साथ पेरुरग्राम की सीमा और पडीनालकनडु आरक्षित वन सीमा के मुख्य बिन्दु पहुँचती है और इसके अतिरिक्त पडीनालकनडु आरक्षित वन के पूर्वी सीमा के साथ निर्देशांक उ 12.278538 पू 75.575997, उ 12.264630 पू 75.577068 से होते हुए जाती है ।
दक्षिण और पश्चिम:-	बिन्दु के ऊपर से सीमा पडीनालकनडु आरक्षित वन की दक्षिणी और पश्चिमी सीमा पर जाती है यह तालाकावेरी वन्यजीव अभयारण्य सीमा पहुँचती है और पडीनालकनडु आरक्षित वन पहुँच कर कुछ दूरी के लिए अभयारण्य सीमा के साथ पश्चिम की ओर जाती है और इसके अतिरिक्त पडीनालकनडु आरक्षित वन सीमा के साथ पश्चिम दिशा की ओर जाती है फिर यह अन्त: राज्य सीमा के पडीनालकनडु आरक्षित वन के दक्षिण-पश्चिम के छुकर पहुचती हैं निर्देशांकों उ 12.266055 पू 75.535725, उ 12.257431 पू 75.512654, उ 12.274095 पू 75.493433, उ 12.288317 पू 75.478399, उ 12.293799 पू 75.461549 से होते हुए जाती है फिर यह निर्देशांक उ 12.289919 पू 75.414851 के साथ बिन्दु पहुँचती है । इसके बाद रेखा पडीनालकनडु आरक्षित वन और पट्टीघाट आरक्षित वन की पश्चिमी सीमाओं के साथ जाती है निर्देशांकों उ 12.307862 पू 75.433323, उ 12.347224 पू 75.411864, उ 12.372250 पू 75.422741, उ 12.410676 पू 75.367240 के अन्त: राज्य सीमा से होते हुए जाती है फिर यह आरम्भिक बिन्दु पहुँचती है ।

उपाबंध II

तालाकावेरी वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध-III

तालाकावेरी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के प्रमुख बिंदुओं के भू- निर्देशांकों को दर्शाने वाली सारणी

मानचित्र आई.डी	देशांतर			अक्षांश		
	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड
1	75	27	7.21	12	27	9.60
2	75	28	55.53	12	26	18.49
3	75	30	16.49	12	25	19.40
4	75	29	53.64	12	24	23.24
5	75	29	26.97	12	23	13.98
6	75	29	44.98	12	21	37.21
7	75	31	41.50	12	20	35.67
8	75	32	23.96	12	19	37.55
9	75	33	4.54	12	18	25.34
10	75	31	38.41	12	17	31.35
11	75	29	35.34	12	17	32.94
12	75	28	15.72	12	17	59.15
13	75	26	44.24	12	19	13.68
14	75	27	47.77	12	20	12.25
15	75	26	45.57	12	20	44.68
16	75	26	17.96	12	21	4.90
17	75	25	57.81	12	21	39.64
18	75	26	55.83	12	22	37.70
19	75	26	50.22	12	23	50.12
20	75	26	59.25	12	24	48.88
21	75	26	56.41	12	26	5.19

IndiaCode

तालाकावेरी वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के प्रमुख बिंदुओं के भू- निर्देशांकों को दर्शाने वाली सारणी

मानचित्र आई.डी	देशांतर			अक्षांश		
	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड
1	75	23	20.88	12	25	47.66
2	75	26	12.87	12	26	31.51
3	75	27	18.74	12	28	40.42
4	75	30	55.16	12	27	10.22

मानचित्र आई.डी	देशांतर			अक्षांश		
	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड
5	75	34	24.09	12	28	59.13
6	75	38	54.63	12	26	13.63
7	75	34	14.76	12	24	10.34
8	75	30	53.87	12	25	2.34
9	75	30	2.52	12	23	13.36
10	75	30	8.30	12	22	4.49
11	75	32	4.62	12	21	0.99
12	75	32	20.61	12	20	13.57
13	75	32	58.06	12	19	46.29
14	75	33	24.64	12	19	7.95
15	75	33	25.66	12	17	54.96
16	75	34	33.59	12	16	42.74
17	75	34	37.45	12	15	52.67
18	75	32	8.61	12	15	57.80
19	75	30	45.56	12	15	26.75
20	75	29	36.36	12	16	26.74
21	75	28	42.24	12	17	17.94
22	75	27	41.58	12	17	37.68
23	75	24	53.46	12	17	23.71
24	75	25	59.96	12	18	28.30
25	75	24	42.71	12	20	50.01
26	75	25	21.87	12	22	20.10
27	75	22	2.06	12	24	38.43
28	75	22	11.85	12	25	42.44

IndiaCode

उपाबंध IV

तालाकावेरी वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सूची

मानचित्र आई.डी	ग्राम के नाम	तालुक	हेक्टेयर में क्षेत्र	अक्षांश			देशांतर			अक्षांश
				डिग्री	मिनट	डिग्री	मिनट	डिग्री	मिनट	
1	भागामंडाला	मादीकेरी	102.17	12	24	06.90	75	30	14.27	एक किलोमीटर
2	थान्नीमनी और वन	मादीकेरी	374.78	12	24	01.77	75	30	05.95	एक किलोमीटर

3	चेरानगाला	मादीकेरी	596.33	12	21	44.45	75	30	32.24	एक किलोमीटर
4	सन्नापुलीकोटु	मादीकेरी	327.42	12	20	10.49	75	32	12.48	एक किलोमीटर
5	अईयानगेरी और वन	मादीकेरी	138.11	12	19	15.90	75	32	57.53	एक किलोमीटर
6	पेरूर	मादीकेरी	140.56	12	18	36.39	75	33	22.30	एक किलोमीटर
कुल			**1679.36 हेक्टेयर**							

पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर अधिसूचित आरक्षित वन क्षेत्र का विवरण

क्रम.सं	**वन के नाम**	**जिला**	**तालुक**	**वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र**	**अधिसूचना सं और दिनांक**
1	पदीनालखण्ड आरक्षित वन	कोडागु	मादीकेरी	60.00	कुर्ग के मुख्य आयुक्त, सं.35 तारीख 23-04-1906
2	पट्टीघाट आरक्षित वन	कोडागु	मादीकेरी	136.28	कुर्ग के मुख्य आयुक्त, सं. 40 तारीख 03-05-1904
कुल				**196.28**	

IndiaCode

उपाबंध V

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May, 2017

S.O. 1564(E).— Whereas, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 142 (E), dated the 13th January 2016, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And Whereas, objections and suggestions received from all persons and stakeholders in response to the draft notification have been duly considered by the Central Government;

And whereas, the talacauvery wildlife sanctuary situated in western side of Kodagu District, in the state of Karnataka lies between North Latitudes 12^0 17' 14" to 12^0 26' 38" and the East Longitudes 75^0 25' 23" to 75^0 33' 15" notified vide 173 87 (I) dated 31st August, 1987 under the provisions of the sub-section (1) of section 18 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 is spread over an area of 105.59 square kilometres;

And whereas, the Talacauvery Wildlife Sanctuary forming the core of Western Ghats is characterised by rugged terrain with more than 85% of the sanctuary area having very steep slope of more than 35%, high rainfall ranging between 6000 mm to 7000 mm. rich biodiversity, high rate of endemism and home for critically endangered and endangered species such as Tiger (*Panthera tigris*), Asiatic Elephant (*Elephas maximus*), Malabar Civet (*Viverra civettina*), Gaur or Indian Bison (*Bos gaurus)*, Sambar (*Rusa unicolor)*, and Barking Deer (*Muntiacus muntjak)*, Lion Tailed Macaque (*Macaca silenus)*, Slender Loris (*Loris lydekkerianus)*, Brown Palm Civet (*Paradoxurus jerdoni*), Leopard Cat, Nilgiri Marten (*Martes gwatkinsii)*, Wild Dog (*Cuon alpines)*, Otter (*Lutra perspicillata)*, Travancore Flying Squirrel (*Petinomys fuscocapillus)* and others and wildlife includes King Cobra (*Ophiophagus Hannah)*, Indian Rock Python (*Python molurus molurus)*, etc;

And whereas, the sanctuary has been identified as one of the important bird areas in the Western Ghats as 13 of the 16 endemic birds of the Western Ghats are found here such as Malabar Banded Peacock, Paris Peacock, Malabar Raven, and Malabar Banded Swallowtail Malabar Pied Hornbill (*Anthracoceros coronatus)*, Malabar Grey Hornbill (*Ocyceros griseus*), Malabar Trogon (*Harpactes fasciatus)*, Malabar Whistling Thrush *(Myophonus horsfieldii*), Wyanaad Laughing Thrush (*Garrulax delesserti*), White-bellied Tree-pie (*Dendrocitta leucogastra*), Orange and Black Fly catcher (*Muscicapa nigrorufa*) and Nilgiri Fly catcher (*Muscicapa albicaudata*) and the sanctuary also harbours endemic and endangered Papilionid butterflies.

And whereas, the sanctuary being surrounded by many reserve forests like Patti Ghat and Padinalknadu reserved forests, the sanctuary provides extended habitat for large mammalia like Asiatic Elephant and Tiger and forms part of the Mysore Elephant Reserve declared under the Project Elephant and the said sanctuary acts as an important corridor for large mammals to move between the Nagarahole National Park and Talacauvery Wildlife Sanctuary State of in Karnataka and Wayanad and Aralam Wildlife Sanctuaries in Kerala State;

And whereas, this protected area is catchment for river Cauvery which originates from Talacauvery and the sanctuary also acts as an important catchment area for Perennial streams like Dodda Hole, Nadumale Hole, Betemale Hole, Kume Kolli and Mundra Hole which depicts the importance of eco-system services offered by the Talacauvery Wildlife Sanctuary;

And whereas, it is necessary to conserve and protect the geographical area around the protected area of the Talacauvery Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 1 kilometer to 16 kilometers around the boundary of Talacauvery Wildlife Sanctuary in the State of Karnataka except along the side where it shares the border with the State of Kerala where it is zero km as the Talacauvery Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.-** (1) The total geographical area of Eco-sensitive Zone is 213.07 square kilometers with an extent varying from 1 to 16 kilometres around the boundary of the Talacauvery Wildlife Sanctuary, except along the side where it shares the border with the State of Kerala where it is zero km and the boundary description of the Eco-sensitive Zone is given in **Annexure – I.**

(2) The map of the Eco-sensitive Zone boundary together with latitudes longitudes is appended as **Annexure II.**

(3) The Geo Coordinates of major points on the boundary of the Talacauvery Wildlife Sanctuary and on the boundary of Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-III.**

(4) The list of villages and the details of reserved forest areas falling within the Eco-sensitive Zone is given at **Annexure-IV.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-

(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;
(ii) Forest and Wildlife;
(iii) Agriculture;
(iv) Revenue;
(v) Urban Development;
(vi) Tourism;
(vii) Rural Development;
(viii) Irrigation and Flood Control
(ix) Municipal;
(x) Panchayati Raj;
(xi) Public Works Department.

IndiaCode

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps and the Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in the Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.-**

The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Landuse:-

(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under relevant state laws and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
(iii) small scale industries not causing pollution;
(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
(v) promoted activities and given under para 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under relevant state laws and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above referred correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.- The catchment areas of all natural springs, rivers, channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(3) **Tourism/ Eco-tourism.-**

(a) All new Eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b)The Eco-tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of Eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer and beyond the distance of 1 km. from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the Eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority with emphasis on eco-tourism.

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel or resort or commercial establishment construction is permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural Heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution.- Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 and the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

(b)No burning or incineration of solid wastes and establishment of landfills shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste.- Bio medical waste management shall be as under:-

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) No common treatment facility or incineration shall be permitted within the Eco Sensitive Zone.

(11) Plastic Waste Management.- The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016,.

(12) Construction and Demolition Waste Management.- The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016.

(13) E-waste.- The E-Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(14) Vehicular traffic.- The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular Pollution.- Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws and efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) Industrial Units.- (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.
(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification and in addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
(17) Protection of Hill Slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.
(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.
(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.
4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S No	Activity	Description
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial Mining.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of new industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted. Industries categorised as Green or White in the Central Pollution Control Board Classification including agro-based small scale industries, will be regulated as per regulations.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws

6.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
7.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
	B. Regulated Activities	
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub- paragraph (1) of paragraph 4 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as:- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) small scale industries not causing pollution; (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including homestays; and (v) promoted activities listed in this notification. Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
11.	Setting up of brick kilns.	Regulated (except as otherwise provided) as per applicable laws.
12.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
13.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.

14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.
15.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable law.
18.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
21.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated effluent shall be regulated as per applicable laws.
22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
23.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
24.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
25.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws.
28.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
C. Promoted Activities		
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted.
34.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
36.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
37.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

IndiaCode

5. Monitoring Committee.- The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of this Notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 comprising of the following, namely:-

(1) Regional Commissioner, Mysore – Chairman

(2) Hon'ble Member of Legislative Assembly, Madikeri Constituency, Kodagu District – Member

(3) Representative of the Department of Environment, Government of Karnataka – Member

(4) Representative of the Department of Urban Development, Government of Karnataka –Member

(5) Representative of Non-governmental Organizations working in the field of natural conservation (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Karnataka– Member

(6) The Regional Officer, Karnataka State Pollution Control Board, Mysore – Member

(7) One expert in Ecology from reputed Institution or University of the State of Karnataka to be nominated by the Government of Karnataka– Member

(8) Deputy Commissioner or his representative, Kodagu District, Madikeri – Member

(9) Member, State Biodiversity Board-Member

(10) The Deputy Conservator of Forests, Madikeri Wildlife Division, Madikeri – Member-Secretary.

6. Terms of Reference.-

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Committee shall be three years.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro- forma appended at **Annexure-V**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F.No.25/163/2015-ESZ-RE]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

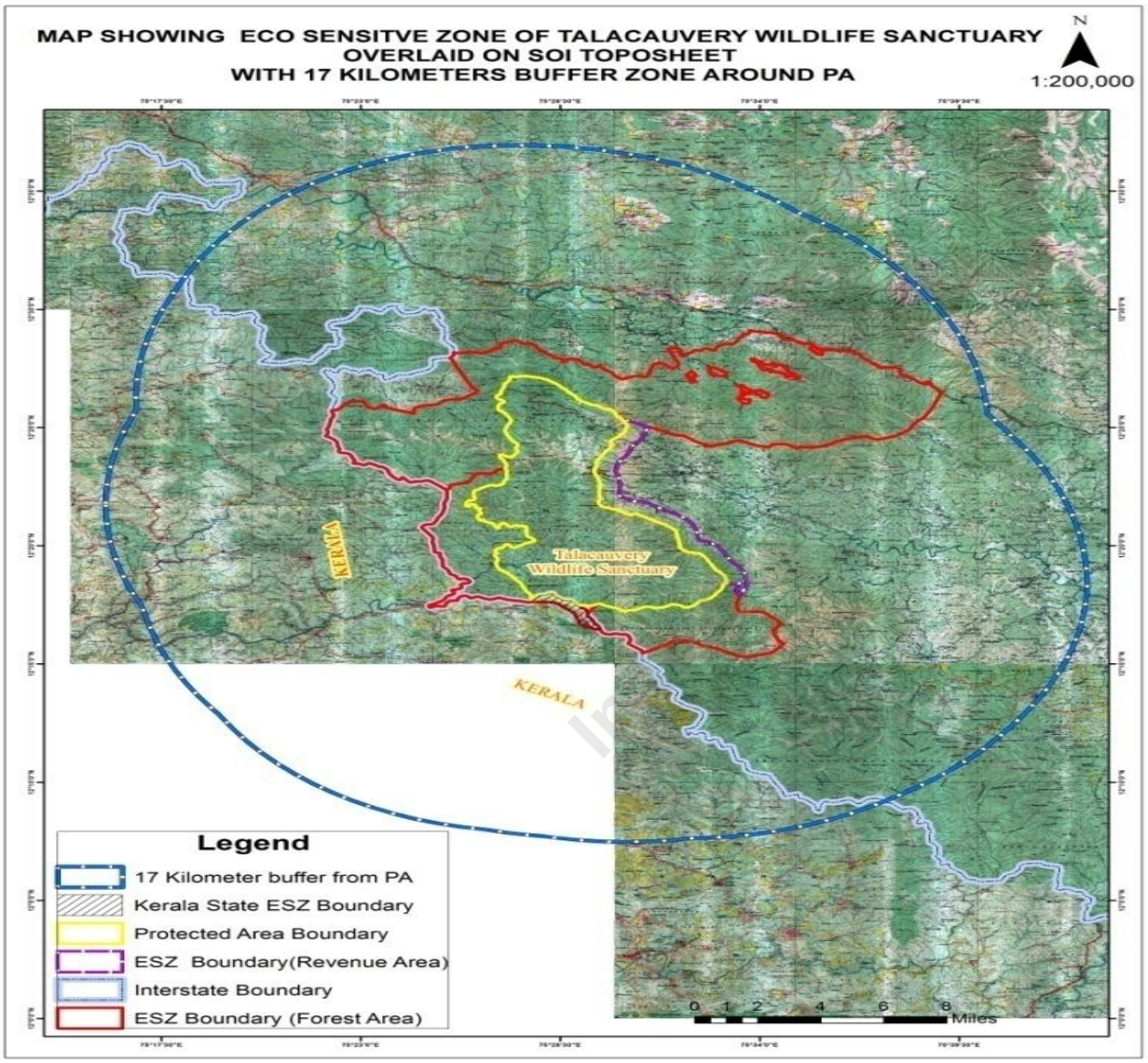
Boundary description of the Eco-sensitive Zone around the Talacauvery Wildlife Sanctuary.

North & East :	The Eco-sensitive Zone boundary of Talacauvery Wildlife Sanctuary starts at a point on the inter-state boundary of Karnataka and Kerala with co-ordinates N 12.428455 E 75.369957, which is also the starting point of Pattighat Reserve Forest and runs in north eastern and eastern direction all along the northern, eastern and southern boundary of Pattighat Reserve Forest passing through the co-ordinates N 12.429906 E 75.389133, N 12.442085 E 75.436909, N 12.477894 E 75.455207, N 12.452840 E 75.515322, N 12.483091 E 75.573359, N 12.437121, E 75.648508 till it reaches a point with co-ordinates N 12.402871 E 75.570767 on the Bhagamandala village boundary. Then the line runs at a width of 1.0 kilometer to the extreme points of the D-Line of all along the eastern and south eastern boundary of Talacauvery Wildlife Sanctuary and passing through the co-ordinates N 12.417316 E 75.514964, N 12.387043 E 75.500700, N 12.367913 E 75.502305, N 12.350275 E 75.534617, N 12.337102 E 75.539058, N 12.329526 E 75.549460, N 12.318875 E 75.556845 through villages of Bhagamandala, Thannimani & Forest, Cherangala, Sannapulikotu, Aiyangeri & Forest till it reaches a common point on the boundary of Perur village and Padinalkunad Reserved Forest boundary with co-ordinates N 12.298601 E 75.557129 and further runs along Eastern boundary of the Padinalkunad Reserved Forest boundary passing through the co-ordinates N 12.278538 E 75.575997, N 12.264630 E 75.577068.
South & West:-	From the above point the boundary runs on the Southern and Western boundary of Padinalkunad Reserved Forest till it reaches the Talacauvery Sanctuary boundary and runs along the Westwards along the Sanctuary boundary for some distance to reach Padinalkunad Reserved Forest and further runs in Westward direction along the Padinalkunad Reserved Forest boundary until it reaches the South-West tip of the Padinalkunad Reserved Forest on the interstate boundary passing through the co-ordinates N 12.266055 E 75.535725, N 12.257431 E 75.512654, N 12.274095 E 75.493433, N 12.288317 E 75.478399, N 12.293799 E 75.461549 till it reaches a point with co-ordinates N 12.289919 E 75.414851. Then the line runs along the Western boundaries of the Padinalkunad Reserved Forest and Pattighat Reserved Forests along the interstate boundary passing through the co-ordinates N 12.307862 E 75.433323, N 12.347224 E 75.411864, N 12.372250 E 75.422741, N 12.410676 E 75.367240 till it reaches the starting point.

IndiaCode

ANNEXURE-II

Maps showing the boundary of the Eco-sensitive Zone around Talacauvery Wildlife Sanctuary.



ANNEXURE-III

Table showing Geo Coordinates of major points on the boundary of Talacauveri Wildlife Sanctuary.

Map ID	Longitude			Latitude		
	Degree	Minutes	Seconds	Degree	Minutes	Seconds
1	75	27	7.21	12	27	9.60
2	75	28	55.53	12	26	18.49
3	75	30	16.49	12	25	19.40
4	75	29	53.64	12	24	23.24
5	75	29	26.97	12	23	13.98
6	75	29	44.98	12	21	37.21
7	75	31	41.50	12	20	35.67
8	75	32	23.96	12	19	37.55
9	75	33	4.54	12	18	25.34
10	75	31	38.41	12	17	31.35
11	75	29	35.34	12	17	32.94
12	75	28	15.72	12	17	59.15
13	75	26	44.24	12	19	13.68
14	75	27	47.77	12	20	12.25
15	75	26	45.57	12	20	44.68
16	75	26	17.96	12	21	4.90
17	75	25	57.81	12	21	39.64
18	75	26	55.83	12	22	37.70
19	75	26	50.22	12	23	50.12
20	75	26	59.25	12	24	48.88
21	75	26	56.41	12	26	5.19

IndiaCode

Table showing Geo Coordinates of major points on the boundary of Eco-sensitive Zone around Talacauvery Wildlife Sanctuary.

Map ID	Longitude			Latitude		
	Degree	Minutes	Seconds	Degree	Minutes	Seconds
1	75	23	20.88	12	25	47.66
2	75	26	12.87	12	26	31.51
3	75	27	18.74	12	28	40.42
4	75	30	55.16	12	27	10.22
5	75	34	24.09	12	28	59.13
6	75	38	54.63	12	26	13.63
7	75	34	14.76	12	24	10.34
8	75	30	53.87	12	25	2.34
9	75	30	2.52	12	23	13.36
10	75	30	8.30	12	22	4.49
11	75	32	4.62	12	21	0.99
12	75	32	20.61	12	20	13.57
13	75	32	58.06	12	19	46.29

Map ID	Longitude			Latitude		
	Degree	Minutes	Seconds	Degree	Minutes	Seconds
14	75	33	24.64	12	19	7.95
15	75	33	25.66	12	17	54.96
16	75	34	33.59	12	16	42.74
17	75	34	37.45	12	15	52.67
18	75	32	8.61	12	15	57.80
19	75	30	45.56	12	15	26.75
20	75	29	36.36	12	16	26.74
21	75	28	42.24	12	17	17.94
22	75	27	41.58	12	17	37.68
23	75	24	53.46	12	17	23.71
24	75	25	59.96	12	18	28.30
25	75	24	42.71	12	20	50.01
26	75	25	21.87	12	22	20.10
27	75	22	2.06	12	24	38.43
28	75	22	11.85	12	25	42.44

ANNEXURE-IV

List of the villages falling within the Talacauvery Wildlife Sanctuary

Map Id	Name of the Village	Taluk	Extent in ha.	Latitude			Longitude			Latitude
				Degree	Minutes	Degree	Minutes	Degree	Minutes	
1	Bhagamandala	Madikeri	102.17	12	24	06.90	75	30	14.27	1 kilometer
2	Thannimani & Forest	Madikeri	374.78	12	24	01.77	75	30	05.95	1 kilometer
3	Cherangala	Madikeri	596.33	12	21	44.45	75	30	32.24	1 kilometer
4	Sannapulikotu	Madikeri	327.42	12	20	10.49	75	32	12.48	1 kilometer
5	Aiyangeri & Forest	Madikeri	138.11	12	19	15.90	75	32	57.53	1 kilometer
6	Perur	Madikeri	140.56	12	18	36.39	75	33	22.30	1 kilometer
Total			**1679.36 ha**							

Details of the Notified Reserved Forest Areas within the Eco-sensitive Zone

Sl. No.	Name of the Forest	District	Taluk	Area in Sq. Km	Notification No. & Date
1	Padinalknad Reserve Forest	Kodagu	Madikeri	60.00	The Chief Commissioner of Coorg, No.35 dated 23-04-1906
2	Pattighat Reserve Forest	Kodagu	Madikeri	136.28	The Chief Commissioner of Coorg, No.40 dated 03-05-1904
Total				**196.28**	

IndiaCode

ANNEXURE-V

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings:
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan:
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise):
 [Details may be attached as Annexure]
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006:
 [Details may be attached as separate Annexure]
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006:
 [Details may be attached as separate Annexure]
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986):
8. Any other matter of importance:

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.05.23 10:50:24 +05'30'